

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/

दिनांक : ...../01/2018

—: आदेश :—

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/चिस्वा/2/2014पार्ट दिनांक 09.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थी का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पिता/पति/पत्नि का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1	जयपुर प्रथम	डॉ0 राजेन्द्र कुमार मीणा		ST	पुरुष	मु.चि. एवं स्वा.अधि. जयपुर-1 के अधीन
2		डॉ0 हर्षदीप सिंह			पुरुष	
3		डॉ0 रामसिंह चौधरी			पुरुष	
4		डॉ0 नरेन्द्र कुमार शर्मा			पुरुष	
5	जयपुर द्वितीय	डॉ0 शशीकान्त मीणा		ST	पुरुष	मु.चि. एवं स्वा.अधि. जयपुर-11 के अधीन

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यार्थी के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री आरएभसी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यार्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) हैं तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/ 31

दिनांक : 12/01/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित/ जिला कलक्टर, संबंधित।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सक को आपके अधीन लम्बे समय से सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त चल पदों पर पदस्थापन करते हुए कार्यग्रहण की सूचना 03 दिवस में अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अतलोड करावे।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।